



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
नर्मदापुरम रोड, भोपाल-462026

क्रमांक 555 / परीक्षा / 2025

भोपाल, दिनांक 4-6-25

प्रति,

प्राचार्य

समस्त संबद्ध विधि महाविद्यालय

भोपाल / विदिशा / नर्मदापुरम / रायसेन / बैतूल / राजगढ़

विषय:- विधि पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन के संबंध में। सत्र 2024-2025 4-6-25

महोदय,

कृपया संलग्न अधिसूचना का अवलोकन करें जिसमें विधि पाठ्यक्रम में आंशिक परिवर्तन किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा समय सारणी सत्र 2024-25 इसी के अनुरूप जारी किया जा चुका है।

कृपया पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

संलग्न:- अकादमी शाखा द्वारा जारी अधिसूचना

परीक्षा नियंत्रक

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक : 4-6-25

556
पृ० क्रमांक :- परीक्षा / 2025
प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी आई.टी.सेल, ब.वि.वि., भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा, ब.वि.वि. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. निज नस्ती ।

सहायक कुलसचिव(परीक्षा)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
बर्मदापुरम (हीशंगाबाद) रोड, भोपाल म.प्र. 462026

अज्ञेय
अमृत भोपाल

क्र. 793/अकादमी/पाठ्य.प्र./2024

भोपाल, दिनांक 29/08/2024

:: अधिसूचना ::

सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि विधि विषय की अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 03/07/2024 में लिये गये निर्णय अनुसार विधि एलएलबी (त्रिवर्षीय), बी.ए. एलएलबी (पंचवर्षीय) एवं एलएल.एम. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में हुए निम्नानुसार संशोधन सत्र 2024-25 से क्रमशः लागू किये जाते हैं।

1. बी.ए.एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में आपराधिक विधि-1 (लॉ ऑफ क्राइम्स-1) के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता 2023" प्रतिस्थापित की जाती है।
2. बी.ए.एलएलबी. षष्ठम सेमेस्टर में आपराधिक विधि-11 (लॉ ऑफ क्राइम्स-11) C.R.P.C. के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023" प्रतिस्थापित की जाती है।
3. बी.ए.एलएलबी. अष्टम सेमेस्टर में साक्ष्य विधि-1872 (लॉ ऑफ एविडेन्स) के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023" प्रतिस्थापित की जाती है।
- ✓ 4. एलएलबी तृतीय सेमेस्टर में आपराधिक विधि-11 (लॉ ऑफ क्राइम्स-11) के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023" प्रतिस्थापित की जाती है।
- ✓ 5. पंचम सेमेस्टर में साक्ष्य विधि-1872 (लॉ ऑफ एविडेन्स) के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023" प्रतिस्थापित की जाती है।
- ✓ 6. बी.ए.एलएलबी, एलएलबी एवं एलएल.एम. एवं अन्य विधि पाठ्यक्रमों में जिन भी प्रश्न पत्रों में आई.पी.सी. एवं पी.सी. साक्ष्य एविडेन्स के प्राधान्य पढ़ाये जाते थे वे नवीन आपराधिक विधियों के अनुरूप पढ़ाये जायेंगे।
- ✓ 7. एलएलबी षष्ठम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम से बैकिंग लॉ विषय को (विलुप्त) विलोपित किया जाए। इस प्रकार एलएलबी षष्ठम सेमेस्टर में पाँच विषय ही पढ़ाये जायेंगे।
- ✓ 8. एलएलबी षष्ठम सेमेस्टर का MOOT COURT CLINICAL COURSE का पाठ्यक्रम वर्तमान में 60:40 है MOOT COURT CLINICAL COURSE है इसलिये इसको 100 अंको का प्रायोगिक किया जाता है। जिसमें 90 अंक फाइनल एवं 10 अंक बाह्य परीक्षक (वायवा) के होंगे।
9. बी.ए. एलएलबी षष्ठम सेमेस्टर का प्रश्न-पत्र मानव अधिकार (ह्यूमन राइट लॉ एण्ड प्रेक्टिस) विषय को बी.ए. एलएलबी दसवें सेमेस्टर में और दसवें सेमेस्टर का मूटकोर्ट षष्ठम सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। जिससे विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर मूटकोर्ट प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। एवं दसवें सेमेस्टर में मूटकोर्ट के स्थान पर मानव अधिकार विधि प्रतिस्थापित की जाती है।

(कुलगुरु जी द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार,

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29/08/2024

पृ. क्रमांक: 793/अकादमी/पाठ्य.प्र./2024

प्रतिलिपि:-

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं अभिन्न कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संबंधित विषय के अध्ययन मण्डल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलगुरु जी की ओर सादर सूचनार्थ।
4. निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सादर सूचनार्थ।
5. निजी जर्नी।